

न्यायालय स
 पीठ
 नम्बर 134/19
 19

तारीख
 हुक्म

23/01/24

पत्रावली राज जेमा हुई। कहील जार।
 हुक्मस्थित। विद्यार्थीगण अनुपस्थित।
 विद्यार्थीगण को कोर्ट सभा के तीन
 बार तीन-तीन आवाने दिलाई गई।
 बारस आवाने दिलाने के विद्यार्थीगण
 अनुपस्थित। तब विद्यार्थीगण के
 बिल्कुल एक तरफ कार्यवाही की
 जाती है। कहील जारी के पत्रावली
 पर उक्त सुननी कोर्ट के कलम के
 लिखाया जाकर सारे मुकाम हुकाया
 गया। कोर्ट की पालना की तहरीर
 जारी हो। पालना जात होने पर
 शिबिल पत्रावली की कोर्ट कब्रकी
 विधि सुनार होकर शिबिल इफ्तार हो।


 न्यायाधीश अतिरिक्त, गुजरात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

रण संख्या : 154 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. जगाराम पुत्र लिछमणाराम
जाति पुरोहित ब्राहमण निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. सोनसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. भगसिंह पुत्र रिडमलसिंह
3. मांगूसिंह पुत्र रिडमलसिंह
4. रमकू पत्नी रिडमलसिंह
5. शैतानसिंह पुत्र रूघनाथसिंह
जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

--: आदेश :-


दिनांक :- 09.01.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...9/1/24..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड न्यायालय, गुड़ामालानी